रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02122024-259071
CG-DL-E-02122024-259071

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 944] नई दिल्ली, बुधवार , नवम्बर 27, 2024/अग्रहायण 6, 1946
No. 944] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 27, 2024/AGRAHAYANA 6, 1946

पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर 2024

सं.एफ़.सं.स्था-II-आरआर0एफ़एसी/1/2024-स्था.II.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग में प्राध्यापक, अवर प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ –** इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग संकाय पद (ग्रुप 'ए') भर्ती संशोधन नियम, 2024 इसकी प्रस्तावना सहित प्रस्तुत है।

   (2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण व वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों की की उपबंध अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएँ आदि -** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता –** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति -** जहाँ केंद्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्ति या पद की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

6. **व्यावृत्ति –** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जंजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

प्रस्तावना

1.	संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	क	संस्थान के नियमों के नियम 6 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार की मंजूरी से शासी परिषद, जहां तक वे केवल संकाय पदों से संबंधित हैं, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, जिन्हें पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान भर्ती संशोधन नियम - 2024 कहा जा सकता है। वे राजपत्र अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।
2.	उद्देश्य		स्नातकोत्तर एवं स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान के विभिन्न विभागों में न्यूनतम योग्यता और अनुभव वाले शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षण का मानक बनाए रखने हेतु एक अहम आवश्यकता है।
3.	परिभाषा	क	<u>तदर्थ (अल्पकालिक) नियुक्ति</u> अल्पकालिक अवधि के लिए की गई नियुक्ति, जहाँ नियमित चयन में देरी की परिकल्पना की गई है और पद को तत्काल भरने की आवश्यकता है।
		ख	<u>संकाय एवं अन्य शैक्षणिक पद:</u> इन नियमों की अनुसूची के खंड-I में शामिल पद।
		ग	<u>नियुक्ति/सक्षम प्राधिकारी:</u> किसी पद पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी।
		घ	<u>अनुबंध अधिकारी:</u> व्यक्ति जिसे अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया हो।
		ङ	<u>संवर्ग:</u> किसी सेवा या सेवा के एक हिस्से की क्षमता को एक अलग इकाई के रूप में मंजूरी दी गई है।
		च	<u>भर्ती का तरीका:</u> भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी; "सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/आमेलन और अल्पकालिक अनुबंध"। इन पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा और ऐसा न कर पाने की स्थिति में पदों को प्रतिनियुक्ति/आमेलन या अल्पकालिक अनुबंध द्वारा भरा जाएगा। सीधी भर्ती के मामले में, विभागीय उम्मीदवारों को भी पात्रता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जाएगी।

		छ	<u>कार्यवाहक नियुक्ति:</u> किसी रिक्त पद पर कार्य करने हेतु संस्थान के कर्मचारी की नियुक्ति।
		ज	<u>परिवीक्षा:</u> संस्थान में स्थायी सेवा/पद पर कर्मचारी की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने हेतु ट्राइल बेसिस पर नियुक्ति। परिवीक्षा की अवधि दो वर्ष की होगी। यदि संस्थान की राय में अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उसे सेवामुक्त किया जा सकता है या सेवा में उसके द्वारा धारित पिछले पद पर वापस भेजा जा सकता है या परिवीक्षा की अवधि बढ़ा दी जा सकती है। यह अस्थायी पद पर तथा प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति पर लागू नहीं होगा।
		झ	<u>स्थायी पद:</u> एक निश्चित वेतन दर वाला पद जिसे बिना किसी निश्चित समय सीमा के स्वीकृत किया जाता है।
		ञ	<u>स्नातकोत्तर योग्यता:</u> स्नातकोत्तर योग्यता का अर्थ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर योग्यता है, जिसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के 'चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम, 2022' में शामिल किया गया है।
		ट	<u>योग्यता:</u> इन नियमों की अनुसूची के अनुसार प्रत्येक पद के लिए अनुभव सहित शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। संस्थान में शिक्षकों की भर्ती/नियुक्ति में योग्यता के संबंध में निम्नलिखित मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जाएगा: i. सभी चिकित्सा शिक्षकों के पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की किसी भी अनुसूची में शामिल बुनियादी विश्वविद्यालय या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। उन्हें राज्य चिकित्सा रजिस्टर या भारतीय चिकित्सा रजिस्टर में भी पंजीकृत होना चाहिए। ii. एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी विभागों में कुल पदों की संख्या के 30% पर गैर-चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है। iii. शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता में इन नियमों की अनुसूची में वर्णित प्रत्येक पद के लिए निर्धारित अनुभव शामिल है।
		ठ	<u>चयन का तरीका:</u> निम्नलिखित में से एक या अधिक तरीकों के माध्यम से नियुक्ति के लिए चयन किया जा सकता हैं- (i) साक्षात्कार, (ii) लिखित और/या व्यावहारिक परीक्षण (iii) मूल्यांकन या उपयुक्तता की कोई अन्य मान्यता प्राप्त विधि द्वारा।
		ड	<u>वेतनमान:</u> जो किसी विशेष पद से जुड़े न्यूनतम से आवधिक वेतन वृद्धि द्वारा बढ़ता है।
		ढ़	<u>स्थायी चयन समिति:</u> पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग के नियमों के नियम 9(ए) के तहत समूह 'ए' पदों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिए संस्थान द्वारा स्थायी चयन समिति गठित की गई है। चयन समिति का वर्तमान गठन निमन्वत है:- 1. अध्यक्ष (शासी परिषद द्वारा नामित) 2. सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) का नामांकित व्यक्ति या उसका

			नामांकित व्यक्ति (संयुक्त सचिव के पद से नीचे का नहीं) 3. डीजीएचएस या उसका नामांकित व्यक्ति (अपर डीजीएचएस के पद से नीचे नहीं) 4. निदेशक, एम्स, नई दिल्ली या उनके नामांकित व्यक्ति। 5. निदेशक, पीजीआईएमईआर या उनके नामांकित व्यक्ति। 6. सदस्य, शासी परिषद। 7. सदस्य, शासी परिषद। 8. स्पेशलिटी/सुपर स्पेशलिटी के क्षेत्र में दो विशेषज्ञ। 9. नीग्रिम्स या किसी अन्य संगठन में उपयुक्त उपयुक्त पद पर काम करने वाला अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक प्रतिनिधि। 10. नीग्रिम्स या किसी अन्य संगठन में कार्यरत अल्पसंख्यकों और उपयुक्त पद का एक प्रतिनिधि। 11. निदेशक, नीग्रिम्स– सदस्य सचिव।
4	भर्ती करने की प्रक्रिया	क	विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जो प्रत्येक श्रेणी के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी। नियुक्ति प्राधिकारी उम्मीदवारों की उपयुक्तता का आकलन करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है, जिसमें लिखित परीक्षा, व्यावहारिक परीक्षा, व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित करना आदि शामिल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त दिए गए विवरणों एवं आवेदन और रेफरल से प्राप्त रिपोर्ट (यदि कोई हो) आदि के आधार पर भी उम्मीदवारों पर विचार कर सकता है। आवश्यक होने पर नियुक्ति प्राधिकारी संस्थान के हित में किसी विशेष पद के लिए कोई विशेष योग्यता/आवश्यकताएं निर्धारित कर सकता है।
		ख	समूह 'ए' पदों पर चयन पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग के नियम 9 द्वारा गठित स्थायी चयन समिति की सिफारिशों पर किया जाएगा। किसी पद पर कोई नियुक्ति तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि पद पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग के नियम 15 और 16 के अनुसार सृजित न किया गया हो और पद विशेष की नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त न कर ली गई हो।
5	प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति		ये पद केवल 'तत्काल अवशोषण आधार' क्लॉज़ की छूट के साथ 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पद्धति से भरे जाएंगे। समान पदों पर या एक स्तर नीचे के पदों पर काम करने वाले व्यक्ति विचार के पात्र होंगे, बशर्ते कि वे सीधी भर्ती हेतु पद के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यता और अनुभव को पूरा करते हों। प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः एक समय में 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अनुबंध पर भरे जाने वाले पदों के मामले में, अपेक्षित योग्यता और अनुभव रखने वाले और 65 वर्ष की आयु सीमा पार न करने वाले व्यक्ति विचार के पात्र होंगे।
6	विशेषज्ञों की नियुक्ति		राष्ट्रपति के अनुमोदन से निदेशक विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकते हैं जिनमें संस्थान के संकाय के सदस्य और बाहर से ऐसे अन्य लोग शामिल हो सकते हैं जो संस्थान में शिक्षण पद/पदों और ऐसे अन्य पद/पदों पर उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करने में चयन समिति की सहायता कर सके।
7	नियुक्ति की शर्तें	क	संस्थान में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए वेतनमान, भर्ती का तरीका, प्रवेश के समय ऊपरी आयु सीमा, योग्यताएं आदि इन नियमों की अनुसूची के अनुसार होंगी।
		ख	उन पदों के लिए जो अनुसूची में उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बनाए और स्वीकृत किए गए हैं, योग्यता, अनुभव, प्रवेश के समय ऊपरी

			आयु, सीमा, भर्ती के तरीके आदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और उसे इन नियमों की अनुसूची में शामिल किया माना जाएगा।
		ग	इन नियमों की अनुसूची में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी प्रविष्टि के संबंध में किए गए किसी भी संशोधन/संशोधन/परिवर्तन को अनुसूची में शामिल किया गया माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा समाप्त किये गये पद इन नियमों की अनुसूची से हटाये गये माने जायेंगे।
8.	स्क्रीनिंग समिति		सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात संकाय पदों के सभी आवेदनों की जांच निदेशक द्वारा गठित एक स्क्रीनिंग समिति द्वारा की जाएगी।
9.	अनुभव		अपेक्षित अनुभव पूरे किए जाने तक की प्रभावी तिथि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार मानी जाएगी।
10	कार्य आवश्यकता		विशिष्ट विशेषज्ञता की जहां आवश्यकता हो, उन पदों के समक्ष विशिष्ट कार्य आवश्यकताओं को दर्शाया जाना चाहिए।
11.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी का आरक्षण		इन नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग व्यक्तियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।
12.	व्याख्या		किसी भी नियम की व्याख्या या उक्त नियमों की अनुसूची में प्रविष्टियों के संबंध में किसी भी संदेह के मामले में, निदेशक का निर्णय अंतिम और निर्णायक माना जाएगा।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी
1	2	3	4	5	6	7
प्राध्यापक	24(2024) (यह संख्या मूल्यांकन प्रोत्साहन योजना में पदोन्नति के आधार पर भिन्न हो सकती है)	सामान्य केंद्रीय सेवा ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14 ए रु0 1,59,100/- +एनपीए	चयनित	ऊपरी आयु सीमा 58 वर्ष।	**<u>मेडिकल उम्मीदवारों के लिए आवश्यक:</u>** 1. भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की पहली या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग-II में शामिल चिकित्सा योग्यता (तीसरी अनुसूची के भाग-II में शामिल योग्यता रखने वाले व्यक्ति अधिनिsयम की धारा 13 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करते हैं)।

						2. स्नातकोत्तर योग्यता जैसे कि एमडी/एमएस या संबंधित अनुशासन/विषय में इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता हासिल की हो। और/या 3. सर्जिकल सुपरस्पेशलिटी के लिए एम.सीएच. और मेडिकल सुपरस्पेशलिटी के लिए डी.एम. (2 साल या 3 साल या 5 साल मान्यता प्राप्त कोर्स) या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता हासिल की हो। **<u>अनुभव:</u>** एमडी/एमएस की डिग्री या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद मान्यता प्राप्त संस्थान में विशेषज्ञता के विषय में 14 साल का शिक्षण या शोध का अनुभव अर्जित किया हो। अथवा संबंधित विषय/विषय में एम.सीएच./डी.एम. (एमबीबीएस के बाद मान्यता प्राप्त 2 साल या 5 साल का कोर्स) की डिग्री या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद मान्यता प्राप्त संस्थान में विशेषज्ञता के विषय में बारह वर्ष का शिक्षण/शोध अनुभव। अथवा संबंधित विषय/विषय में डी.एम./एम.सीएच. की 3 वर्ष की मान्यता प्राप्त डिग्री या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए विशेषज्ञता के विषय

							में मान्यता प्राप्त संस्थान में 11 वर्ष का शिक्षण और शोध अनुभव। **<u>नॉन मेडिकल उम्मीदवारों के लिए आवश्यक:</u>** 1. स्नातकोत्तर योग्यता जैसे कि विषय/संबद्ध विषय में मास्टर डिग्री प्राप्त की हो। 2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की हो। <u>**अनुभव**</u>: डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के बाद संबंधित विषय/विषय में चौदह वर्ष का शिक्षण या शोध अनुभव।

परिवीक्षा अवधि	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
9	10	11	12	13
सीधी दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। ऐसा न कर पाने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा।	पदोन्नति- लागू नहीं। प्रतिनियुक्ति/आमेलन: नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले व्यक्ति। अथवा या सीधी भर्ती (कॉलम 7) के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले व्यक्ति।	स्थायी चयन समिति की संरचना निम्नानुसार है:- 1. अध्यक्ष (शासी परिषद द्वारा नामित) 2. सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) का नामांकित व्यक्ति या उसका नामांकित व्यक्ति (संयुक्त सचिव के पद से नीचे का नहीं) 3. डीजीएचएस या उसका नामांकित व्यक्ति (अपर डीजीएचएस के पद से नीचे नहीं) 4. निदेशक, एम्स, नई दिल्ली या उनके नामांकित व्यक्ति। 5. निदेशक, पीजीआईएमईआर या उनके नामांकित व्यक्ति।	लागू नहीं

			6. सदस्य, शासी परिषद। 7. सदस्य, शासी परिषद। 8. स्पेशलिटी/सुपर स्पेशलिटी के क्षेत्र में दो विशेषज्ञ। 9. नीग्रिम्स या किसी अन्य संगठन में उपयुक्त उपयुक्त पद पर काम करने वाला अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक प्रतिनिधि। 10. नीग्रिम्स या किसी अन्य संगठन में कार्यरत अल्पसंख्यकों और उपयुक्त पद का एक प्रतिनिधि। 11. निदेशक, नीग्रिम्स– सदस्य सचिव।	

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी
1	2	3	4	5	6	7	8
अवर प्राध्यापक	1 शून्य (2024) (यह संख्या मूल्यांकन प्रोत्साहन योजना में पदोन्नति के आधार पर भिन्न हो सकती है)	सामान्य केंद्रीय सेवा ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 ए2 रु0 1,39,600/-+एनपीए	चयनित	ऊपरी आयु सीमा 58 वर्ष।	**मेडिकल उम्मीदवारों के लिए आवश्यक:** बिन्दु 1 और 2 प्राध्यापक पद के समान (मेडिकल) **अनुभव** एमडी/एमएस की डिग्री या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद मान्यताप्राप्त संस्थान में विशेषज्ञता के विषय में 10 साल का शिक्षण या शोध का अनुभव अर्जित किया हो। **सुपरस्पैशलिटी डिसिप्लिन के लिए आवश्यक:**	लागू नहीं

						1. प्राध्यापक पद के समान (मेडिकल) 2. मेडिकल सुपरस्पेशलिटी के लिए डी.एम. और सर्जिकल सुपरस्पेशलिटी के लिए एम.सीएच. (2 साल या 3 साल या 5 साल मान्यता प्राप्त कोर्स) या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता हासिल की हो। **<u>अनुभव:</u>** संबंधित विषय/विषय में एम.सीएच./डी.एम. (एमबीबीएस के बाद मान्यता प्राप्त 2 साल या 5 साल का कोर्स) की डिग्री या उसके समकक्ष डिग्री प्राप्त करने के बाद मान्यता प्राप्त संस्थान में विशेषज्ञता के विषय में 08 वर्ष का शिक्षण/शोध अनुभव। **अथवा** संबंधित विषय/विषय में डी.एम./एम.सीएच. की 3 वर्ष की मान्यता प्राप्त डिग्री या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए विशेषज्ञता के विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान में 07 वर्ष का शिक्षण और शोध अनुभव। **<u>नॉन मेडिकल उम्मीदवारों के लिए</u>**	

						आवश्यक: बिन्दु 1 और 2 प्राध्यापक पद के समान (नॉन मेडिकल) **अनुभव**: डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के बाद संबंधित विषय में 10 वर्ष का शिक्षण या शोध अनुभव।	

परिवीक्षा अवधि	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
9	10	11	12	13
सीधी दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। ऐसा न कर पाने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा।	पदोन्नति- लागू नहीं। प्रतिनियुक्ति/आमेलन: नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले व्यक्ति। अथवा या सीधी भर्ती (कॉलम 7) के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले व्यक्ति।	स्थायी चयन समिति की संरचना निम्नानुसार है:- 1. अध्यक्ष (शासी परिषद द्वारा नामित) 2. सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) का नामांकित व्यक्ति या उसका नामांकित व्यक्ति (संयुक्त सचिव के पद से नीचे का नहीं) 3. डीजीएचएस या उसका नामांकित व्यक्ति (अपर डीजीएचएस के पद से नीचे नहीं) 4. निदेशक, एम्स, नई दिल्ली या उनके नामांकित व्यक्ति। 5. निदेशक, पीजीआईएमईआर या उनके नामांकित व्यक्ति। 6. सदस्य, शासी परिषद। 7. सदस्य, शासी परिषद। 8. स्पेशलिटी/सुपर स्पेशलिटी के क्षेत्र में दो विशेषज्ञ। 9. नीग्रिम्स या किसी अन्य संगठन में उपयुक्त उपयुक्त पद पर काम करने वाला अनुसूचित जाति/अनुसूचित	लागू नहीं

			जनजाति का एक प्रतिनिधि। 10. नीग्रिम्स या किसी अन्य संगठन में कार्यरत अल्पसंख्यकों और उपयुक्त पद का एक प्रतिनिधि। 11. निदेशक, नीग्रिम्स– सदस्य सचिव।	

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी
1	2	3	4	5	6	7	8
सह प्राध्यापक	1 3 37 (2024) (यह संख्या मूल्यांकन प्रोत्साहन योजना में पदोन्नति के आधार पर भिन्न हो सकती है)	सामान्य केंद्रीय सेवा ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 ए1 रु0 1,31,400/- +एनपीए	चयनित	ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष।	**<u>मेडिकल उम्मीदवारों के लिए आवश्यक:</u>** बिन्दु 1 और 2 प्राध्यापक पद के समान (मेडिकल) **<u>अनुभव</u>** एमडी/एमएस की डिग्री या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद मान्यता प्राप्त संस्थान में विशेषज्ञता के विषय में 06 साल का शिक्षण या शोध का अनुभव अर्जित किया हो। **<u>सुपरस्पैशलिटी डिसिप्लिन के लिए आवश्यक:</u>** 1. प्राध्यापक पद के समान (मेडिकल) 2. मेडिकल सुपरस्पेशलिटी के लिए डी.एम. और सर्जिकल सुपरस्पेशलिटी के लिए एम.सीएच. (2 साल या 3 साल या 5 साल मान्यता प्राप्त कोर्स) या इसके समकक्ष मान्यता	लागू नहीं

						प्राप्त योग्यता हासिल की हो। **अनुभव:** संबंधित विषय/विषय में एम.सीएच./डी.एम. (एमबीबीएस के बाद मान्यता प्राप्त 2 साल या 5 साल का कोर्स) की डिग्री या उसके समकक्ष डिग्री प्राप्त करने के बाद मान्यता प्राप्त संस्थान में विशेषज्ञता के विषय में 04 वर्ष का शिक्षण/शोध अनुभव। **अथवा** संबंधित विषय/विषय में डी.एम./एम.सीएच. की 3 वर्ष की मान्यता प्राप्त डिग्री या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए विशेषज्ञता के विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान में 03 वर्ष का शिक्षण और शोध अनुभव। **नॉन मेडिकल उम्मीदवारों के लिए आवश्यक:** बिन्दु 1 और 2 प्राध्यापक पद के समान (नॉन मेडिकल) **अनुभव**: डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के बाद संबंधित विषय में 06 वर्ष का शिक्षण या शोध अनुभव।	

परिवीक्षा अवधि	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	कोई विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है

	भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत			
9	10	11	12	13
सीधी दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। ऐसा न कर पाने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा।	पदोन्नति- लागू नहीं। प्रतिनियुक्ति/आमेलन: नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले व्यक्ति। अथवा या सीधी भर्ती (कॉलम 7) के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले व्यक्ति।	स्थायी चयन समिति की संरचना निम्नानुसार है:- 1. अध्यक्ष (शासी परिषद द्वारा नामित) 2. सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) का नामांकित व्यक्ति या उसका नामांकित व्यक्ति (संयुक्त सचिव के पद से नीचे का नहीं) 3. डीजीएचएस या उसका नामांकित व्यक्ति (अपर डीजीएचएस के पद से नीचे नहीं) 4. निदेशक, एम्स, नई दिल्ली या उनके नामांकित व्यक्ति। 5. निदेशक, पीजीआईएमईआर या उनके नामांकित व्यक्ति। 6. सदस्य, शासी परिषद। 7. सदस्य, शासी परिषद। 8. स्पेशलिटी/सुपर स्पेशलिटी के क्षेत्र में दो विशेषज्ञ। 9. नीग्रिम्स या किसी अन्य संगठन में उपयुक्त उपयुक्त पद पर काम करने वाला अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक प्रतिनिधि। 10. नीग्रिम्स या किसी अन्य संगठन में कार्यरत अल्पसंख्यकों और उपयुक्त पद का एक प्रतिनिधि। 11. निदेशक, नीग्रिम्स– सदस्य सचिव।	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी

1	2	3	4	5	6	7	8
सहायक प्राध्यापक	1 96(2024) (यह संख्या मूल्यांकन प्रोत्साहन योजना में पदोन्नति के आधार पर भिन्न हो सकती है)	सामान्य केंद्रीय सेवा ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 12 रु0 1,01,500/- +एनपीए	चयनित	ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष।	**मेडिकल उम्मीदवारों के लिए आवश्यक:** बिन्दु 1 और 2 प्राध्यापक पद के समान (मेडिकल) **अनुभव** एमडी/एमएस की डिग्री या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद मान्यता प्राप्त संस्थान में विशेषज्ञता के विषय में 03 साल का शिक्षण या शोध का अनुभव अर्जित किया हो। **सुपरस्पैशलिटी डिसिप्लिन के लिए आवश्यक:** 1. प्राध्यापक पद के समान (मेडिकल) 2. मेडिकल सुपरस्पेशलिटी के लिए डी.एम. और सर्जिकल सुपरस्पेशलिटी के लिए एम.सीएच. (2 साल या 3 साल या 5 साल मान्यता प्राप्त कोर्स) या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता हासिल की हो। **अनुभव:** संबंधित विषय/विषय में एम.सीएच./डी.एम. (एमबीबीएस के बाद मान्यता प्राप्त 2 साल या 5 साल का कोर्स) की डिग्री या उसके समकक्ष डिग्री प्राप्त करने के बाद मान्यता प्राप्त संस्थान में विशेषज्ञता के विषय में 01 वर्ष का शिक्षण/शोध अनुभव। हालांकि उपरोक्त विषय में 3 साल के मान्यता प्राप्त डिग्री हासिल करने	लागू नहीं

						वाले उम्मेदवारों को उक्त अनुभव से रियायत प्रदान की जाती है। **नॉन मेडिकल उम्मीदवारों के लिए आवश्यक:** बिन्दु 1 और 2 प्राध्यापक पद के समान (नॉन मेडिकल) **अनुभव**: डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के बाद संबंधित विषय में 03 वर्ष का शिक्षण या शोध अनुभव।	

परिवीक्षा अवधि	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
9	10	11	12	13
सीधी दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। ऐसा न कर पाने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा।	पदोन्नति- लागू नहीं। प्रतिनियुक्ति/आमेलन: नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले व्यक्ति। अथवा या सीधी भर्ती (कॉलम 7) के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले व्यक्ति।	स्थायी चयन समिति की संरचना निम्नानुसार है:- 1. अध्यक्ष (शासी परिषद द्वारा नामित) 2. सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) का नामांकित व्यक्ति या उसका नामांकित व्यक्ति (संयुक्त सचिव के पद से नीचे का नहीं) 3.डीजीएचएस या उसका नामांकित व्यक्ति (अपर डीजीएचएस के पद से नीचे नहीं) 4. निदेशक, एम्स, नई दिल्ली या उनके नामांकित व्यक्ति। 5.निदेशक, पीजीआईएमईआर या उनके नामांकित व्यक्ति। 6. सदस्य, शासी परिषद। 7. सदस्य, शासी परिषद। 8. स्पेशलिटी/सुपर स्पेशलिटी के क्षेत्र में	लागू नहीं

			दो विशेषज्ञ। 9. नीग्रिम्स या किसी अन्य संगठन में उपयुक्त उपयुक्त पद पर काम करने वाला अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक प्रतिनिधि। 10.नीग्रिम्स या किसी अन्य संगठन में कार्यरत अल्पसंख्यकों और उपयुक्त पद का एक प्रतिनिधि। 11. निदेशक, नीग्रिम्स– सदस्य सचिव।	

प्रो. नलिन मेहता, निदेशक, नीग्रिम्स

[विज्ञापन-III/4/असा.714/2024-25]

NORTH EASTERN INDIRA GANDHI REGIONAL INSTITUTE OF HEALTH & MEDICAL SCIENCES, SHILLONG

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2024

F.No.EST-II-RR0FAC/1/2024-Estt.II - In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Professor, Additional Professor, Associate Professor and Assistant Professor, North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong, namely:-

1. **Short title and commencement –** (1) These Rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong, Faculty post (Group 'A') Recruitment amendment Rules, 2024 along with its Preamble.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix –** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc. –** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification –** No person,

   (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Ministry of Health & Family Welfare, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

6. **Saving –** Nothing in these rules shall affect reservation relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen, Persons with Disabilities and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Preamble

1.	Short Title and application	a.	In exercise of the powers conferred under Rule 6 of the Rules of the Institute, the Governing Council with sanctioned of the Central Government in so far as they relate to the Faculty posts only, hereby makes the following rules which may be called the **North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences Recruitment Amendment Rules – 2024.** They shall come into effect from the date of issue of the Gazette Notification.
2.	Objectives		Appointments of teachers with minimum qualification and experience in various departments of the Institute imparting Post-graduate as well as Graduate Medical Education is a necessary requirement to maintain a standard of teaching.
3.	Definition	a.	<u>Ad-hoc (short-term) appointment</u> Appointment made for a short-term period where delay in regular selection is envisaged and the post is required to fill up urgently.
		b.	<u>Faculty & other academic posts</u>: Posts included in the Section-I of the Schedule of these Rules.
		c.	<u>Appointment/Competent Authority:</u> The Competent Authority to make appointment to a post.
		d.	<u>Contract Officer:</u> A person appointed on contract basis.
		e.	<u>Cadre</u>: The strength of a service or a part of service sanctioned as a separate unit.
		f.	<u>Mode of Recruitment:</u> The recruitment will be carried out in the following manners: “Direct Recruitment/Deputation/Absorption and Short-term Contract”. These posts shall be filled up by Direct Recruitment failing which by deputation/absorption or short term contract. In case of direct recruitment, the eligible departmental candidates will also be allowed to compete, if otherwise eligible.
		g.	<u>Officiating appointment:</u> Appointment of an Institute’s employee to officiate in a vacant post.
		h.	<u>Probation:</u> Appointment on trial to judge the suitability of the employee with a view to his/her ultimate absorption in the permanent service/post in the Institute. The period of probation shall be two years. If the officer in the opinion of the Institute, is not found fit for permanent appointment, he may be discharged or reverted to the previous post held by him in the service or extend the period of probation. This will not be applicable in case of appointment against a temporary post and also on deputation/contract appointments.
		i.	<u>Permanent post:</u> A post carrying a definite rate of pay sanctioned without limit of time.
		j.	<u>Post Graduate Qualification:</u> Post Graduate Qualification means a Post Graduate Qualification recognized by the National Medical Commission as included in the ‘Teachers Eligibility Qualifications in Medical Institutions Regulations, 2022’ of the National Medical Commission.
		k.	<u>Qualification:</u> Academic and professional qualifications including experience prescribed for each post as per Schedule to these Rules. The following norms will be strictly observed in the Recruitment/appointment of teachers in the Institute in regard to qualification: i. All medical teachers must possess a basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register. ii. 30% of the total number of posts in the departments of Anatomy,

			Physiology, Biochemistry, Pharmacology and Microbiology, the non-medical teachers may be appointed. iii. Academic and professional qualification includes experience prescribed for each post as given in Schedule to these Rules.
		l.	Mode of Selection: Selection for appointment through one or more of the following methods (i) Interview, (ii) Written and/or practical test/s (iii) any other recognized method of evaluation of suitability.
		m.	Scale of Pay: Which rises by periodical increments from minimum attached to a particular post.
		n.	Standing Selection Committee: Standing Selection Committee constituted by the Institute under Rule 9(a) of the Rules of the North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong for selection of candidates for appointment to Group 'A' posts. The present constitution of the Selection Committee is as under:- 1. Chairman (as nominated by the Governing Council) 2. Nominee of Secretary (Health & FW) or his nominee (not below the rank of Joint Secretary) 3. DGHS or his nominee (not below the rank of Addl.DGHS) 4. Director, AIIMS, New Delhi or his nominee 5. Director, PGIMER or his nominee 6. Member, Governing Council 7. Member, Governing Council 8. Two experts in the field of speciality/Super-speciality 9. One representative of SC/ST an appropriate status working in NEIGRIHMS or some other organization 10. One representative of Minorities and appropriate status working in NEIGRIHMS or some other organization 11. Director, NEIGRIHMS - Member Secretary
4	Procedure for making recruitments:	a.	The procedure to be followed for making recruitment to various categories of posts shall be as may be prescribed by the appointing authority for each category. The appointing authority may determine the procedure to follow for assessing the suitability of the candidates in making selection/s, which may include written test, practical test, holding of personal interview etc. it may also consider candidates on the basis of the particulars furnished in the application and the reports received from the referees, if any. The appointing authority may where necessary, prescribe any special qualification/requirements for any particular post in the interest of the Institute.
		b.	Selection to Group 'A' post shall be made on the recommendations of the Standing Selection Committee constituted by the Institute Rule 9 of the Rules of the North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong. No appointment to a post shall be made unless the post is created in accordance with the Rule 15 & 16 of the Rules of the North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong and the approval of the competent authority has been obtained for the particular appointment.
5.	Appointments on Deputation/Contract		The posts will be filled up by the method of deputation for a period of 5 years only in exemption of the clause on 'Immediate Absorption Basis'. Persons working in the analogous posts or in posts one level below shall be eligible for consideration provided they fulfil the requisite qualification and experience prescribed for the post as for a direct recruit. The period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years at a time. In case of posts to be filled up on contract, persons having requisite qualifications and experience and who have not crossed the age of 65 years will be eligible for consideration.
6.	Appointment of Experts		The Director may with approval of the President invite experts who may include members of the Institute's faculty and such others from outside who are eminent in their respective field of speciality to assist the Selection Committee/s in making selection/s of suitable candidate/s to teaching post/s and such other post/s in the Institute as may be considered by him.

7.	Conditions of appointment	a.	The scale of pay, mode of recruitment, upper age limit at the time of entry, qualification etc for appointment to various posts in the Institute, shall be as contained in Schedule to these Rules.
		b.	For posts not provided in Schedule, but created and sanctioned with approval of the competent authority, the qualifications, experience, upper age at the time of entry, mode for recruitment etc. maybe prescribed by the appointing authority and the same shall be deemed to have been included in the Schedule of this Rules.
		c.	Any modification/amendments/changes made in respect of any entries in Schedule to these Rules by the competent authority, shall be deemed to have been incorporated in the Schedule. Similarly posts abolished by the order of the competent authority shall be deemed to have been deleted from the Schedule of these Rules.
8.	Screening Committee		All applications for faculty posts will be scrutinized by a Screening Committee constituted by the Director with the approval of the competent authority.
9.	Experience		The effective date upto which the requisite experience must be completed would be reckoned as on the last date of submission of applications (s)
10.	Job requirement		Specific job requirements should be indicated against posts in Superspecialities and other specialized field where specific expertise are necessary.
11.	Reservation of Schedule Caste and Schedule Tribe		Nothing in these Rules shall effect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Schedule Castes & Schedule Tribes, Other Backward Classes, Persons with Disabilities and Other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
12.	Interpretation		In case of any doubt in respect of the interpretation of any of the Rules or the entries in the Schedule to these Rules, the decision of the Director shall be deemed as final and conclusive.

Name of the post	Number of post	Classification	Corresponding Level as per Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruitment	Educational and other Qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct Recruits will Apply in case of promotees
1	2	3	4	5	6	7	8
Professor	24 (2024) (This strength may vary on account of promotion in Assessment Promotion Scheme)	General Central Service Group 'A'	Level 14A of Pay Matrix Rs.1,59,100/- + NPA	Selection	Upper age limit 58 years	**<u>Essential for Medical Candidates:</u>** 1. A medical qualification included in the First or Second Schedule or part-II of the Third Schedule to the Indian Medical CouncilAct,1956 (persons possessing qualifications included in part-II of the Third Schedule also fulfil the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Act). 2. A Post-graduate qualification e.g.	Not applicable

						MD/MS or a recognised qualification equivalent thereto in the respective discipline/subject. and/or 3. M.Ch.for surgical superspecialitiesand D.M. formedical superspecialities (2 Years or 3 years or 5 years recognised course) or qualification recognized equivalent thereto. **<u>Experience</u>**: Fourteen years teaching and/or research experience in recognized Institution in the subject of speciality after obtaining the qualifying degree of MD/MS or qualification recognised equivalent thereto. or Twelve years teaching and/or research experience in recognized Institute in the subject of speciality after obtaining the Degree of M.Ch./D.M. (2 years or 5 years course recognised after MBBS) in the respective discipline/ subject or a qualification recognized equivalent thereto. or Eleven years teaching and research experience in a recognized Institution in the subject of speciality for the candidates possessing 3 years recognized Degree of D.M./M.Ch. in the respective discipline/subject or a qualification recognized equivalent thereto. **<u>Essential for Non-medical Candidates:</u>** 1. Postgraduate qualification e.g. Masters degree in the discipline/allied subject.	

						2. A doctorate degree of a recognised University. **Experience:** Fourteen years teaching and/or research experience in the discipline/subject concerned after obtaining the doctorate degree.	

9	10	11	12	13
Period of probation	Method of recruitment whether By direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the Vacancies to be filled By various methods	In case of promotion/absorption/Deputation, The grade from which the Selection will be made	If a Department Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances In which Union Public Service Commission to Be consulted in making recruitment
Two years	Direct Recruitment failing which by Deputation/absorption	Promotion– Not applicable. Deputation/absorption: Holding analogous posts on regular basis Or Persons possessing the Educational Qualification and Experience prescribed as per Direct Recruitment (Col.7).	The composition of the Standing Selection Committee is as under:- 1. Chairperson (as nominated by the Governing Council) 2. Nominee of Secretary (Health & FW) - (not below the rank of Joint Secretary) 3. DGHS or his nominee (not below the rank of Addl.DGHS) 4. Director, AIIMS or his nominee 5. Director, PGIMER or his nominee 6. Member, Governing Council 7. Member, Governing Council 8. Two experts in the field of speciality / Superspeciality 9. One representative of SC/ST and appropriate status working in NEIGRIHMS or some other organization. 10. One representative of Minorities an appropriate status working in NEIGRIHMS or some other organization 11. Director, NEIGRIHMS– Member Secretary	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
Additional Professor	Nil (2024) (This strength may vary on account of	General Central Service Group 'A'	Level 13A2 of Pay Matrix Rs. 1,39,600/- + NPA	Selection	Upper age limit 58 years	**Essential for Medical Candidates:** 1 to 2 same as Professor (Medical) **Experience**: Ten years teaching and/or	Not applicable

	promotion in Assessment Promotion Scheme)					research experience in recognized Institution in the subject of speciality after obtaining the qualifying degree of MD/MS or qualification recognised equivalent thereto.	
						Essential for Superspeciality disciplines: 1 same as Professor (Medical) 2.D.M.in the respective	
						Discipline/subject for medical superspecialities and M.Ch. in the respective discipline/subject for surgical superspecialities (2 years or 3 years or 5 years recognized course) or a qualification recognised equivalent thereto. **Experience**: Eight years teaching and/or research experience in recognized Institute in the subject of speciality after obtaining the Degree of M.Ch./D.M. (2 years or 5 years course recognized after MBBS) in the respective discipline/subject or a qualification recognized equivalent thereto. or Seven years teaching and research experience in a recognized Institution in the subject of speciality for the candidates possessing 3 years recognized Degree of D.M./M.Ch. in the respective discipline/subject or a qualification recognized equivalent thereto. **Essential for Non-medical Candidates:** 1 & 2 are same as for Professor (Non-Medical) **Experience:** Ten years teaching and/or research experience in the discipline/subject concerned after obtaining the doctorate degree.	

9	10	11	12	13
Period of probation	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of promotion/absorption/Deputation, the grade from which the selection will be made	If a Department Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
Two years	Direct Recruitment failing which by Deputation/absorption	Promotion– Not applicable. Deputation/absorption: Holding analogous posts on regular basis Or Persons possessing the Educational Qualification and Experience prescribed as per Direct Recruitment (Col.7).	The composition of the Standing Selection Committee is as under:- 1. Chairperson (as nominated by the Governing Council) 2. Nominee of Secretary (Health & FW) - (not below the rank of Joint Secretary) 3. DGHS or his nominee (not below the rank of Addl.DGHS) 4. Director, AIIMS or his nominee 5. Director, PGIMER or his nominee 6. Member, Governing Council 7. Member, Governing Council 8. Two experts in the field of speciality/Superspeciality 9. One representative of SC/ST and appropriate status working in NEIGRIHMS or some other organization. 10. One representative of Minorities an appropriate status working in NEIGRIHMS or some other organization 11. Director, NEIGRIHMS - Member Secretary	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
Associate Professor	37 (2024) (This strength may vary on account of promotion in Assessment Promotion Scheme)	General Central Service Group 'A'	Level 13A1 of Pay Matrix Rs. 1,31,400/- + NPA	Selection	Upper age limit 50 years	**<u>Essential for Medical Candidates:</u>** 1 to 2 same as Professor (Medical) **<u>Experience</u>**: Six years teaching and/or research experience in recognized Institution in the subject of speciality after obtaining the qualifying degree of MD/MS or qualification recognised equivalent thereto.	Not applicable

						Essential for Superspeciality disciplines:	
						1 same as Professor (Medical)	
						2. D.M. in the respective discipline/subject for medical superspecialities and M.Ch. in the respective discipline/subject for surgical superspecialities (2 years or 3 years or 5 years recognized course) or a qualification recognised equivalent thereto. **Experience**: Four years teaching and/or research experience in recognized Institute in the subject of speciality after obtaining the Degree of M.Ch./D.M.(2 years or 5 years course recognised after MBBS) in the respective discipline/subject or a qualification recognized equivalent thereto. or Three years teaching and research experience in a recognized Institution in the subject of speciality for the candidates possessing 3 years recognized Degree of D.M./M.Ch. in the respective discipline/ subject or a qualification recognized equivalent thereto. **Essential for Non-medical Candidates:** 1 & 2 are same as for Professor (Non-Medical) **Experience:** Six years teaching and/or research experience in the discipline/subject concerned after obtaining the doctorate degree.	

9	10	11	12	13
Period of probation	Method of recruitment whether By direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the Vacancies to be filled By various methods	In case of promotion/absorption/Deputation, The grade from which the Selection will be made	If a Department Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances In which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
Two years	Direct Recruitment failing which by Deputation/absorption	Promotion– Not applicable. Deputation/absorption: Holding analogous posts on regular basis Or Persons possessing the Educational Qualification and Experience prescribed as per Direct Recruitment (Col.7).	The composition of the Standing Selection Committee is as under:- 1. Chairperson (as nominated by the Governing Council) 2. Nominee of Secretary (Health & FW) - (not below the rank of Joint Secretary) 3. DGHS or his nominee (not below the rank of Addl.DGHS) 4. Director, AIIMS or his nominee 5. Director, PGIMER or his nominee 6. Member, Governing Council 7. Member, Governing Council 8. Two experts in the field of speciality/Superspeciality 9. One representative of SC/ST and appropriate status working in NEIGRIHMS or some other organization. 10. One representative of Minorities an appropriate status working in NEIGRIHMS or some other organization 11. Director, NEIGRIHM - Member Secretary	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
Assistant Professor	96 (2024) (This strength may vary on account of promotion in Assessment Promotion Scheme)	General Central Service Group 'A'	Level 12 of Pay Matrix Rs. 1,01,500/- + NPA	Selection	Upper age limit 50 years	**<u>Essential for Medical Candidates:</u>** 1 to 2 same as Professor (Medical) **<u>Experience</u>**: Three years teaching and/or research experience in recognized Institution in the subject of speciality after obtaining the qualifying degree of MD/MS or qualification recognised equivalent thereto.	Not applicable

						Essential for Superspeciality disciplines: 1 same as Professor (Medical) 2.D.M. in the respective discipline/subject for medical superspecialities and M.Ch. in the respective discipline/subject for surgical superspeialities (2 years or 3 years or 5 years recognised course) ora qualification recognised equivalent thereto. **Experience**: One year Teaching and/or research experience in a recognized Institution in the subject of speciality after obtaining the qualifying degree of M.Ch/D.M. (2 years or 5 years course recognized after MBBS) or qualification recognised equivalent thereto. However, no experience is necessary for the candidates possessing the 3 years recognized degree of D.M./M.Ch. or qualification recognized equivalent thereto.	
						<u>Essential for Non-medical Candidates:</u> **1 & 2 are same as for Professor (Non-**	

						Medical) **Experience:** **Three years teaching and/or research experience in the discipline/ subject concerned after obtaining the doctorate egree.**	

9	10	11	12	13
Period of probation	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of promotion/absorption/Deputation, the grade from which the selection will be made	If a Department Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
Two years	Direct Recruitment failing which by Deputation/absorption	Promotion– Not applicable. Deputation/absorption: Holding analogous posts on regular basis Or Persons possessing the Educational Qualification and Experience prescribed as per Direct Recruitment (Col.7).	The composition of the Standing Selection Committee is asunder:- 1. Chairperson (as nominated by the Governing Council) 2. Nominee of Secretary (Health &FW) - (not below the rank of Joint Secretary) 3. DGHS or his nominee (not below the rank of Addl.DGHS) 4. Director, AIIMS or his nominee 5. Director, PGIMER or his nominee 6. Member, Governing Council 7. Member, Governing Council 8. Two experts in the field of speciality/ Superspeciality 9. One representative of SC/ST and appropriate status working in NEIGRIHMS or Some other organization. 10. One representative of Minorities an appropriate status working in	Not applicable

			NEIGRIHMS or some other organization	
			11. Director, NEIGRIHMS Member Secretary	

Prof. NALIN MEHTA, Director, NEIGRIHMS

[ADVT.-III/4/Exty./714/2024-25]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL
Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2024.12.02 14:19:08 +05'30'